रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022020-216181
CG-DL-E-15022020-216181

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2020/माघ 25, 1941
No. 95] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 113(अ).—जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.45 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चूना भट्टियों में पेट कोक की बिक्री तथा उपयोग को अधिसूचित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के उपाबंध के रूप में संलग्न की गई सूची में उल्लिखित औद्योगिक इकाइयों को ही केवल पेट कोक की बिक्री की जाती है और उक्त सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से किया जा सकेगा;

और जबकि, राजस्थान राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उपरोक्त उल्लिखित उपाबंध में 1 चूना भट्टी के ब्यौरे में और संशोधन किए जाने को अनुमोदित किया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में और निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, उपाबंध में, क्रम सं. 219 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:-

''219	मैसर्स दरियाव लाईम इंडस्ट्रीज	खसरा सं. 5446/1428, ग्राम: खिवसर, तहसील: खिवसर, जिला: नागौर, राजस्थान	7	4800	9900	960''

[फा. सं. क्यू-16017/04/2018-सीपीए(पार्ट)]

अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45 (अ) तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 495(अ), तारीख 25 मई, 2018, सा.का.नि. 397(अ), तारीख 31 मई, 2019 और सा.का.नि. 906(अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2019 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2020

G.S.R. 113(E).—Whereas, sale and use of pet coke in lime kilns in the National Capital Region (NCR) States was notified vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018, wherein sale of pet coke are made only to the industrial units mentioned in the list annexed to the said notification as Annexure and any change in the said list shall be made on the recommendation of the concerned State Government and with the approval of the Central Pollution Control Board;

And whereas, on the recommendation of the State Government of Rajasthan, Central Pollution Control Board has approved further amendment in the details of 1 lime kiln in the Annexure of the notification mentioned above.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the aforesaid notification, namely:-

In the said notification, in the Annexure, for serial number 219 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

"219	M/s. Dariyav Lime Industries	Khasra No.: 5446/1428, Vill: Khivsar, Tehsil: Khivsar, Distt: Nagaur, Rajasthan	7	4800	9900	960."

[F. No. Q-16017/04/2018-CPA(pt)]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note: The principle notification was published *vide* number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 495(E), dated the 25th May, 2018, G.S.R. 397(E), dated the 31st May, 2019 and G.S.R. 906(E), dated the 12th December, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.15 15:04:01 +05'30'